संख्या-6/2024/482/सैतालिस-का-1-2024-13(1)/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 05 जून,2024**

विषय:- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही ससमय संपन्न कराए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि दिनांक 01 जुलाई,2024 से चयन वर्ष 2024-25 प्रारम्भ हो रहा है। चयन की कार्यवाही समय से संपन्न न होने पर पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होते है तथा सम्बंधित कार्मिकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अत: पदोन्नति से भरे जाने वाली, चयन वर्ष के सम्पूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर,2024 तक पूर्ण कर ली जाए।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

2.1 चयन वर्ष 2024-25(दिनांक 01 जुलाई,2024 से दिनांक 30 जून,2025 तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए।

2.2 विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों, जिन्हें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु विहित प्रक्रिया/प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलंबतम 31 जुलाई, 2024 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में विलंब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर सम्बंधित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को विलंब के कारणों को स्पष्ट करना होगा।

2.3 ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जानी है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अथवा ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितम्बर,2024 तक पूर्ण कर/करा लिया जाए।

2.4 यदि पिछले चयन वर्षों में चयन की कार्यवाही संपन्न न होने या किन्हीं अन्य कारणों से विभाग में 01 जुलाई,2024 को रिक्ति उपलब्ध हो रही हो तथा पात्र कार्मिक उपलब्ध हो, तो विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष की रिक्तियों हेतु यथावश्यकता जून, 2024 के दूसरे सप्ताह में चयन प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे दिनांक 30.06.2024 तक चयन की कार्यवाही संपन्न हो सके। इसी प्रकार शासन/विभागाध्यक्ष स्तर पर भी 01 जुलाई,2024 को रिक्ति उपलब्ध हो रही हो तो, जून,2024 में चयन प्रक्रिया सम्बंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।

2.5 पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियों, जिनपर पदोन्नति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है, पर चयन कराए जाने हेतु प्रस्ताव/अधियाचन, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को समयबद्ध रूप से प्रेषित कर दिया जाए।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में, शासन स्तर पर, यथास्थिति सम्बधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागध्यक्ष के स्तर पर सम्बंधित विभागाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन में उक्त प्रतिकूल तथ्य का अंकन किया जाएगा।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव

संख्या- 6/2024/482/सैतालिस-का-1-2024-13(1)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in